UPMA040248762026

न्यायालय–विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, मऊ।
जमानत प्रार्थना पत्र सं०– 3293/2026
मु० नं०–16241/2021
मु०अप०सं०.–035/2021
अन्तर्गत धारा –60 आबकारी अधिनियम
थाना– रानीपुर, जनपद–मऊ।
स्टेट बनाम देवेन्द्र कुमार यादव उर्फ सोनू
दिनांक – 11.08.2026

प्रार्थी/अभियुक्त देवेन्द्र कुमार यादव उर्फ सोनू मु०अप०सं०.–**035/2021** धारा– 60 आबकारी अधिनियम थाना–रानीपुर जनपद मऊ के प्रकरण में गैर जमानतीय अधिपत्र गिरफ्तार होकर न्यायालय के समक्ष उपस्थित।

आवेदक/अभियुक्त देवेन्द्र कुमार यादव के द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

आवेदक/अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र के परिप्रेक्ष्य में विद्वान अधिवक्ता को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि प्रार्थी देवेन्द्र कुमार यादव उर्फ सोनू मु०अप०सं०.–**035/2021** धारा– 60 आबकारी अधिनियम थाना–रानीपुर जनपद–मऊ के मामले में अभियुक्त है तथा न्यायिक अभिरक्षा में हैं। अभियुक्त द्वारा कथन किया गया है कि प्रार्थी निर्दोष है और फर्जी तरीके से अभियुक्त बनाया गया है। प्रार्थी पूर्व से जमानत पर है। प्रार्थी के विरूद्ध गैर जमानती आदेश जारी हो गया। अभियुक्त द्वारा जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त गैर जमानतीय अधिपत्र पर गिरफ्तार होकर न्यायालय के समक्ष उपस्थित है। अभियुक्त पर लगाया गया आरोप मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। अतः मामले के तथ्यों व परिस्थितियों में आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है तथा आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त देवेन्द्र कुमार यादव उर्फ सोनू मु०अप०सं०.–**035/2021** धारा– 60 आबकारी अधिनियम थाना–रानीपुर जनपद मऊ के प्रकरण में जमानत प्रार्थना स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु० 20,000/– रू० का स्वबंधपत्र तथा समान धनराशि की दो प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मऊ।